

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
कार्यालय आदेश

संख्या – 3/स्था०(6) 15/2023 –

/ पटना – 15, दिनांक –

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश संख्या 18794, दिनांक 04.10.2025 के आलोक में विभाग तथा पशुपालन, मत्स्य एवं गव्य विकास निदेशालयों अंतर्गत विषयवार प्रशाखाओं के गठन/पुनर्गठन हेतु गठित 07 (सात) सदस्यीय समिति की दिनांक-14.05.2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से विभागीय सभागार कक्ष में निर्धारित बैठक अपरिहार्य कारणों से रद्द करते हुये दिनांक-18.05.2026 को 10:00 बजे पूर्वाह्न में विभागीय सभागार कक्ष में पुनर्निर्धारित की जाती है। साथ ही उक्त तिथि को पूर्व से निर्धारित साप्ताहिक समीक्षा बैठक रद्द की जाती है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 3/स्था०(6) 15/2023 –

/ पटना – 15, दिनांक –

प्रतिलिपि – सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/ सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं उक्त बैठक से संबंधित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 3/स्था०(6) 15/2023 –

/ पटना – 15, दिनांक –

प्रतिलिपि – निदेशक, पशुपालन/मत्स्य/गव्य विकास, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - 3/स्था०(6) 15/2023 -

/ पटना - 15, दिनांक -

प्रतिलिपि - स्थापना प्रभारी/योजना प्रभारी, पशुपालन/मत्स्य/गव्य विकास निदेशालय/श्री रामायण राम, उप सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी,(स्थापना कार्य), मत्स्य निदेशालय बिहार, पटना/श्री आनन्द वर्द्धन, अवर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी,(स्थापना कार्य), पशुपालन निदेशालय बिहार, पटना/श्री नीरज कुमार देवनाथ, अवर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी,(स्थापना कार्य), गव्य विकास निदेशालय बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक - 3/स्था०(6) 15/2023 - 2284 / पटना - 15, दिनांक - 14.05.2026

प्रतिलिपि - आई०टी० प्रबंधक, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबंधितों के ई-मेल पर भेजने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

14.5.26

सरकार के संयुक्त सचिव ।